

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी - मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या- 233/2019

1. रिन्कू
2. जयदेव सिंह
3. जसवन्त

पि० जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़

—वादीगण

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. लीलावती पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़

—प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री विकास शर्मा, वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुन्दन लाल, प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या-1 के नाम अंकित भूमि में पक्षकार वादी संख्या-01 को चक नम्बर 4 एम.एस.टी. खाता संख्या-9 प०न० 194/336 (25) कि०न० 5, 6, 15, 16 प्रत्येक सालम, कि०न० 25/1/0.215 है०, कुल तादादी 1.227 है०, वादी संख्या-2 को चक नम्बर 4 एम.एस.टी. खाता संख्या-9 प०न० 194/336 (25) कि०न० 25/2/0.038 है०, प०न० 194/337 (28) कि०न० 5, 6, 15, 16 प्रत्येक सालम, प०न० 195/337 (27) कि०न० 20/2/0.088, 21/3/0.089 है०, कुल तादादी 1.227 है० व वादी संख्या-3 को चक नम्बर 4 एम.एस.टी. खाता संख्या-9 प०न० 195/337 (27) कि०न० 1/0.253, 2/1/0.038, 9/1/0.038, 10/0.253, 11/0.253, 12/1/0.038, 19/1/0.038, 20/0.165, 21/2/0.114, 22/2/0.038, कुल 1.228 है० का खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार खाता पृथक-पृथक खोलकर रकमराज वादीगण के नाम अलग-अलग कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या-1 का नाम प्रश्नगत भूमि में कलमजन कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....
अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 31.08.2020 को खुले
न्यायालय में जारी किया गया।



(मांगीलाल आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
टिब्बी